



# उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-832-औसं-17/पाकालि/2020-11(12)ए0एस0/06

दिनांक : 06 मार्च, 2020

## कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट [www.uppcl.org/Medical](http://www.uppcl.org/Medical) पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औसं-17/पाकालि/ 2009, दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश संख्या-3464-औसं/2017/पाकालि/2003 दिनांक 09.07.2003, आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003 दिनांक 21.07.2003 एवं आदेश संख्या-2691-औसं/पाकालि/2016 दिनांक 29.06.2016 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य अभियंता (वितरण), लेसा ट्रान्स गोमती, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ के पत्र संख्या-369/मु0अ0(वि0)/लेसा ट्रां0गो0/7बी0-9/मान्यता प्रदान दिनांक 11.02.2020 एवं संख्या-369/मु0अ0(वि0)/लेसा ट्रां0गो0/7बी0-9/मान्यता प्रदान दिनांक 11.02.2020 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रदत्त पंजीकरण संख्या-HOS/18/808 वर्ष 2018 जो दिनांक 01.05.2019 से 30.04.2020 तक नवीनीकृत है एवं संख्या-HOS/3258/06/679 वर्ष 2006 जो दिनांक 15.05.2019 से 30.04.2020 तक नवीनीकृत है, के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित चिकित्सालयों को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0-2014 की मानक दरों पर एतद्वारा दिनांक 30.06.2020 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है:-

1. चन्दन हॉस्पिटल, फैजाबाद रोड निकट चिनहट फ्लाईओवर, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ ।
2. डिवाइन हार्ट एण्ड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, विराज खण्ड, इन्स्टीट्यूशनल एरिया-5 गोमतीनगर, लखनऊ ।

उपर्युक्त चिकित्सालयों में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन0जी0-2/एस0ई0बी0(चार) 29-एन0जी0-2/78, दिनांक 24.05.78 एवं आदेश संख्या-3330-औ0सं0/18-11(28)ए0एस0/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08.8.2018 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी ।

- 1- अस्पताल को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे । किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा ।
- 2- चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.06.2020 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय" ।
- 3- चिकित्सालय को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन को भेजनी होगी :-

- (क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग ।
- (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध ।
- (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि ।
- (घ) कार्मिक का वेतनमान ।
- (ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस) । (स्पष्ट रूप से पठनीय होना चाहिए)
- (च) कुल चार्ज की गयी धनराशि ।

Nal

क्रमशः...2.../-

( 2 )

- 4- कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की वेब साइट [www.uppcl.org/ Medical](http://www.uppcl.org/Medical) पर दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।
- 5- निर्धारित/अनुमोदित दरों से विचलित होने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-832-औसं-17/पाकालि/2020/तददिनांक।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का०प्र०) ट्रांसको, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
9. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव-प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. अधिशासी अभियन्ता(वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट [www.uppcl.org-Medical](http://www.uppcl.org-Medical) पर अपलोड करने हेतु।
13. महाप्रबन्धक (चिकित्सा) (उत्पादन निगम), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. प्रबन्धक, चन्दन हॉस्पिटल, फैजाबाद रोड निकट चिनहट पलाईओवर, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ।
15. प्रबन्धक, डिवाइन हार्ट एण्ड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, विराज खण्ड, इन्स्टीट्यूशनल एरिया-5 गोमतीनगर, लखनऊ।
16. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
17. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
18. कट फाइल।

*Naft Mathur*  
(नवनीत माथुर) 6.3.20

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी